



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2006 ई0
पौष 08, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
सचिवालय, देहरादून

संख्या 266/XXII/2006-57/सू0लो0स0/2002
देहरादून, 29 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना
विविध

प0 आ0-223

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006

भाग एक-सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-

उत्तरांचल सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' व 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

3-परिभाषाएं-

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -

- (क) 'नियुक्त प्राधिकारी' से नियम 5 के क्रम संख्या 1 से 3 तक के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल और शेष पदों के सम्बन्ध में महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ग) 'आयोग' से "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग" अभिप्रेत है;
- (घ) 'संविधान' से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
- (ङ) 'महानिदेशक' से महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल अभिप्रेत है;
- (च) 'सरकार' से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) 'राज्यपाल' से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
- (ज) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) 'सेवा' से उत्तरांचल, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, राजपत्रित सेवा अभिप्रेत है;
- (ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (ट) 'मर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो-संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कार्मिकों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु-

- (एक) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-मर्ती

5-मर्ती का स्रोत-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

- (1) संयुक्त निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से जिन्होंने मर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
- (2) उप निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों एवं सम्पादक में से जिन्होंने मर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति के द्वारा।
- (3) सहायक निदेशक/सहायक निदेशक, तकनीकी-मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी व फोटो फिल्म अधिकारी [सहायक निदेशक (तकनीकी) के लिए] में से जिन्होंने मर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) सम्पादक-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(5) सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी-

(एक) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से, आयोग के माध्यम से;

(दो) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा, जिसमें से-

(क) 8 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक/ऑफिस सेक्रेटरी एवं प्रशासनिक अधिकारी-1 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

(ख) 12 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अनुवादकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,

(ग) 80 प्रतिशत पद पर अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी-सूचना अधिकारियों का एकीकृत संवर्ग होगा, जिन्हें जनपदों में तैनात किये जाने पर जिला सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जायेगा।

(6) फोटो फिल्म अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त फोटोग्राफर व कैमरामैन में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

6-आरक्षण-

उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य श्रेणियों के अम्बुधियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-अर्हतायें

7-राष्ट्रीयता-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अम्बुधियों-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अम्बुधियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु श्रेणी (ख) के अम्बुधियों से यह भी अपेक्षा कि जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करे :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अम्बुधियों उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अम्बुधियों को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अम्बुधियों को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-शैक्षिक अर्हताएं-

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

<u>पद</u>	<u>अर्हताएं</u>
(1) सम्पादक	<p>(क) अनिवार्य अर्हताएं :</p> <p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>(दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार-पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ख) अधिमानी अर्हताएं-अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने-</p> <p>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
(2) सूचना अधिकारी/ जिला सूचना अधिकारी	<p>(क) अनिवार्य अर्हतायें :</p> <p>(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई उपाधि।</p> <p>(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा।</p> <p>(ख) अधिमानी अर्हताएं :</p> <p>(एक) समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(दो) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन-व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।</p>

9-आयु-

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

10-चरित्र-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वागित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11—वैवाहिक प्रास्थिति—

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अम्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अम्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

12—शारीरिक स्वस्थता—

किसी अम्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अम्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अम्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच—भर्ती प्रक्रिया

13—रिक्तियों का अवधारण—

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 6 के अधीन उत्तरांचल की अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

14—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

- (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे, जिसे आयोग के सचिव से भुगतान पर प्राप्त किया जा सकेगा।
- (2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश-पत्र के बिना किसी भी अम्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य श्रेणियों के अम्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अम्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अम्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।
- (4) आयोग अम्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अम्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अम्यर्थियों को जितनी वह उचित समझे, नियुक्ति के लिए संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अम्यर्थी कुल योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अम्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

(जहाँ भर्ती प्रतियोगिता से भिन्न माध्यम से की जानी है।)

15-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

- | | |
|---|-----------------|
| (1) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तरांचल शासन | पदेन अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों | पदेन सदस्य |
| (3) अनु०ज१०/अनु०ज०जा० का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के न हों | सदस्य |
| (4) अपर सचिव एवं अधिशासी निदेशक सूचना विभाग | पदेन सदस्य सचिव |

फोटो फिल्म अधिकारी की पदोन्नति समिति निम्नानुसार होगी।

- | | |
|---|-----------------|
| (1) महानिदेशक, सूचना, उत्तरांचल | पदेन अध्यक्ष |
| (2) अधिशासी निदेशक, सूचना, उत्तरांचल | पदेन सदस्य |
| (3) उपनिदेशक स्तर का एक अधिकारी | पदेन सदस्य सचिव |
| (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी | सदस्य |
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठताक्रम/गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनके सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें।
- (3) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
- (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

16-संयुक्त चयन सूची-

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जाती हैं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उदाहरण-

(एक) मान लीजिए यदि किसी वर्ष विशेष में सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी) और पदोन्नति (प) दोनों प्रकार से 75 और 25 के अनुपात में की जाती हैं और रिक्तियां 20 हैं, तो ऐसी स्थिति में 15 रिक्तियां सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों और 5 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन के पश्चात् संयुक्त सूची निम्न चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगी :-

- | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1. सी | 5. प | 9. प | 13. प | 17. प |
| 2. सी | 6. सी | 10. सी | 14. सी | 18. सी |
| 3. सी | 7. सी | 11. सी | 15. सी | 19. सी |
| 4. सी | 8. सी | 12. सी | 16. सी | 20. सी |

(दो) यदि उपरोक्त प्रकरण में किसी वर्ष (क) में भर्ती विहित कोटे के अनुसार न करके 8 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और तत्समय प्रवृत्त संगत आदेश किसी भी स्रोत से रिक्तियां भरने की अनुमति नहीं देते हैं तो सीधी भर्ती के कोटे की पूर्ति अगले वर्ष (ख) में 20 रिक्तियों में से 18 सीधी भर्ती और 02 को पदोन्नति द्वारा भर्ती से की जायेगी।

(क) और (ख) वर्षों में संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में तैयार की जायेगी :-

वर्ष (क)		वर्ष (ख)	
1. सी	10. सी	1. सी रिक्ति भरी नहीं गई	11. सी
2. सी	11. सी	2. सी के कोटे की	12. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती
3. सी	12. सी	3. सी वर्ष (क)	13. सी
4. सी	13. प	4. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती	14. सी
5. प	14. सी	5. सी	15. सी
6. सी	15. सी	6. सी	16. प
7. सी	16. सी	7. सी	17. सी
8. सी	17. प	8. प वर्ष (क) की अतिरिक्त भर्ती	18. सी
9. प		9. सी	19. सी
		10. सी	20. प

(तीन) तत्समय प्रवृत्त संगत आदेशों में विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में खाली पदों को अन्य स्रोतों से भरे जाने का प्राविधान और खाली 03 पद इस प्रकार पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तो संयुक्त सूची निम्नलिखित चक्रीय क्रम में होगी :-

1. प	6. सी	11. सी	16. सी
2. सी	7. सी	12. सी	17. प
3. सी	8. सी	13. सी	18. प
4. सी	9. प	14. सी	19. प
5. प	10. सी	15. सी	20. प

भाग छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17-नियुक्ति-

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में भी किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अन्यर्था उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तरांचल लोक सेवा आयोग विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

18-परिवीक्षा-

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाये।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रेरणार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

19-स्थायीकरण-

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने -

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

20-ज्येष्ठता-

(1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो, उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है, तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा। परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अम्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि -

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ, हों, नीचे कर दी जायेगी।

- (दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम चक्रीय क्रम में अथवा नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।
- (तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, मानो उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग सात-वेतन इत्यादि

21-वेतनमान-

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) पदों के वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान
1.	संयुक्त निदेशक	12000-375-16500
2.	उप निदेशक	10000-325-15200
3.	सहायक निदेशक/सहायक निदेशक, तकनीकी	8000-275-13500
4.	सम्पादक	8000-275-13500
5.	सूचना अधिकारी	6500-200-10500
6.	जिला सूचना अधिकारी	6500-200-10500
7.	फोटो फिल्म अधिकारी	6500-200-10500

22-परिवीक्षा अवधि-

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति में वेतन को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तमी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तमी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य प्राविधान

23-पक्ष समर्थन-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

24-अन्य विषयों का नियमन-

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

25-सेवा शर्तों में शिथिलता-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

26-व्यावृत्ति-

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	12000-375-16500	01
2.	उप निदेशक	10000-325-15200	02
3.	सहायक निदेशक	8000-275-13500	03
4.	सहायक निदेशक, तकनीकी	8000-275-13500	01
5.	सम्पादक	8000-275-13500	01
6.	सूचना अधिकारी	6500-200-10500	08
7.	जिला सूचना अधिकारी	6500-200-10500	13
8.	फोटो फिल्म अधिकारी	6500-200-10500	01

आज्ञा से,

डी०के० कोटिया,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 266/XXII/2006-57/Su.Lo.Sa./2002, dated December 29, 2006 for general information:

No.266/XXII/2006-57/Su.Lo.Sa./2002
Dated Dehradun, December 29, 2006

NOTIFICATIONMiscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Information and Public Relations Department Gazetted Service:-

**THE UTTARANCHAL INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
GAZETTED SERVICE RULES, 2006**

PART I--GENERAL

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called "The Uttaranchal Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006".

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service--

The Uttaranchal Government Information and Public Relations Department Gazetted Service is a State Service comprising Group 'A' and 'B' posts.

3. Definitions--

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context --

- (a) 'Appointing Authority' means as per rule 5 in respect of the posts at serial number 1 to 3 in the 'Appendix' the Governor and in respect of the remaining posts the Director General of Information and Public Relations, Uttaranchal;
- (b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (c) 'Commission' means Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (e) 'Director General' means the Director General of Information and Public Relations Department of Uttaranchal;
- (f) 'Government' means the State Government of Uttaranchal;
- (g) 'Governor' means the Governor of Uttaranchal;
- (h) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
- (i) 'service' means the Uttaranchal Information (Gazetted) service;
- (j) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the Cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the Procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
- (k) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II--CADRE

4. Cadre of Service--

(1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein, shall, until orders varying the same are passed under sub-rule be as given in Appendix:

Provided that--

- (i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

5. Source of Recruitment--

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources --

(1) **Joint Director**--By Promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Director who has completed One year service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) **Deputy Director**--By Promotion through the Selection Committee from amongst substantively Appointed Assistant Director and Editor Officers of the equivalent pay scale who have completed Five-year service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) **Assistant Director/Assistant Director (Technical)**--By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Information Officer, Distt. Information Officer and Photo Film Officer for Assistant Director (Technical) who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(4) **Editor**--By direct recruitment through the Commission.

(5) **Information Officer/Distt. Information Officer**--

(i) 50 percent by Direct Recruitment through the Commission; and

(ii) 50 percent by promotion through the Commission out of which--

(a) 8 percent from amongst substantively appointed Personnel Assistant/Office Secretary and Administrative Officer-I who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment,

(b) 12 percent from amongst substantively appointed Translator who has completed Seven years service as such on the first day of the year of recruitment,

(c) 80 percent from amongst substantively appointed Additional District Information Officers who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

NOTE--Information Officer and District Information Officer is a single Cadre and when Information Officer shall be appointed in the district, he will be posted as District Information Officer.

(6) **Photo Film Officer**--By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Photographers and Cameramen, who have completed Three years service as such on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation--

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories belonging to the State of Uttaranchal shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV--QUALIFICATION

7. Nationality--

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be--

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above, must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualification--

A candidate for recruitment to the various posts in the Service must possess the following qualifications :--

Post	Qualifications
(1) Editor -	<p>(a) Essential Qualifications :</p> <p>(i) A Bachelors Degree from a university established by law in India with Hindi or Sanskrit literature as one of the subjects or a qualification recognized by Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) Five years experience of journalism or editorial work in any leading daily or monthly newspaper or in any department of the Government.</p> <p>(b) Preferential Qualifications :</p> <p>(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or</p> <p>(ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.</p>
(2) Information Officer/ Distt. Information Officer	<p>(a) Essential qualifications :</p> <p>(i) A Bachelors Degree with Hindi as one of the subjects from a university established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto.</p> <p>(ii) Diploma or Degree in Journalism from a university established by law in India or any institution recognized by the Government as equivalent thereto or 5 years journalistic experience.</p> <p>(b) Preferential qualifications :</p> <p>(i) Three Years experience of writing articles, scripts and features in the newspapers and magazines.</p> <p>(ii) Diploma in Music/Lighting Arrangements /Acting/Direction etc. from any institute recognized by the Government.</p>

9. Age--

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1st to June 30 and on July 1st if the posts are advertised during the period July 1st to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

10. Character--

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

11. Marital Status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

12. Physical Fitness--

Candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect, likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT**13. Determination of Vacancies--**

The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to State of Uttaranchal under Rule 6.

14. Procedure by Direct Recruitment--

(1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and others categories under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the lists shall be more (but not more than 25%) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

NOTE-- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

15. Procedure for Recruitment by Promotion--

For the promotion for the post of Joint Director, Deputy Director and Assistant Director Departmental Promotion Committee will be constituted as below :-

- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) Principal Secretary/Secretary, Department of Information, Government of Uttaranchal | Ex-officio Chairman |
| 2) Representative of Principal Secretary/Secretary, Department of Personnel, Government of Uttaranchal, not below the rank of Joint Secretary | Ex-officio Member |
| (3) An officer from Scheduled Casts/Scheduled Tribes not below the rank of Joint Secretary | Member |
| (4) Additional Secretary and Executive Director, Information Department | Ex-officio Member Secretary |

For promotion to the post of Photo Film Officer, Departmental Promotion Committee will be constituted as below:--

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) Director General, Information, Uttaranchal | Ex-officio Chairman |
| (2) Executive Director, Information, Uttaranchal | Ex-officio Member |
| (3) A Deputy Director, Information | Ex-officio Member Secretary |
| (4) An officer from Scheduled Casts/Scheduled Tribes | Member |

(2) The Appointing Authority will prepare a list of qualified persons on the basis of their seniority/ qualifications and will put up before the Selection Committee with the character roles and all other relevant documents deemed fit.

(3) Selection Committee shall consider on the promotion of the personals on the basis of documents mentioned in sub-rule (2) and if feel necessary, may take interviews.

(4) A list on the basis of seniority of selected persons shall be prepared by the Selection Committee and shall be submitted to appointing authority.

16. Combined Select List--

If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Illustrations--

(i) Suppose, in a service, appointment is made both by direct recruitment (D) and by promotion (P) in the ratio of 75:25 and in particular year, there are 20 vacancies. In such a case, 15 Vacancies will go to the direct recruits and 5 vacancies to promoters. After the selections are made the Combined Select List shall be prepared in the following cycle order :-

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 11. D |
| 2. D | 12. D |
| 3. D | 13. P |
| 4. D | 14. D |
| 5. P | 15. D |
| 6. D | 16. D |
| 7. D | 17. P |
| 8. D | 18. D |
| 9. P | 19. D |
| 10. D | 20. D |

(ii) If in the above case instead of recruitment, in any Year (X), being in accordance with the prescribed quota 8 persons are recruited by promotion and 12 directly and the rules or where there are no rules, the relevant orders in force for the time being do not permit the unfilled vacancies or any source being filled from the deficiency in the quota or direct recruits is made good in the next year (Y) by recruiting 18 direct recruits. and 2 promotees out of 20 vacancies the combined select list in (X) and (Y) Years shall be prepared in the following cyclic order :-

- | (X) Year | | (Y) Year | |
|----------|-------|-------------------------|--------------|
| 1. D | 10. D | 1. D unfilled | 11. D |
| 2. D | 11. D | 2. D quota of | 12. P Excess |
| 3. D | 12. D | 3. D (X) year | of (X) Year |
| 4. D | 13. P | 4. P Excess of | 13. D |
| 5. P | 14. D | (X) Year | 14. D |
| 6. D | 15. D | 5. D | 15. D |
| 7. D | 16. D | 6. D | 16. P |
| 8. D | 17. P | 7. D | 17. D |
| 9. P | | 8. P Excess of (X) Year | 18. D |
| | | 9. D | 19. D |
| | | 10. D | 20. P |

(iii) If, in the case mentioned in illustration (ii), the rules or, where there are no rules, the relevant orders in force for the time being provided for the unfilled vacancies of any source being filled from the other sources in specified contingency and the unfilled 3 vacancies of direct recruits are so filled by promotions the combined select list shall be in the following cyclic order:--

1. P	11. D
2. D	12. D
3. D	13. D
4. D	14. D
5. P	15. D
6. D	16. D
7. D	17. P
8. D	18. P
9. P	19. P
10. D	20. P

PART VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SINIORITY

17. Appointment--

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names or candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16 or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in rule 17.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate become on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding on year or beyond the next selection under these rules which ever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, the provisions of regulations 5 (a) of the Uttaranchal Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations 1954 shall apply.

18. Probation--

(1) A person on appointment to a post or Service till or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation till individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year, and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may, be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity, in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account or the purpose of computing the period of probation.

19. Confirmation--

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if --

- he has passed the prescribed departmental examination, if any;
- his work and conduct is reported to be satisfactory;
- his integrity is certified; and
- the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

20. Seniority--

(1) Except, as here in after provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined from the date or the orders of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies, particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the order of substantively appointed and other case it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of anyone selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to Join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The Seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance in rule-18. In such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that --

- Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.
- Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this rule, their names shall be placed at the top, followed by the names, in the cyclic order, of the other appointments.
- Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART VII-PAY ETC.

21. Scales of Pay

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of Pay at the time of the commencement of these Rules are given as, follows.

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Joint Director	12000-375-16500
2.	Deputy Director	10000-325-15200
3.	Asstt. Director/Assistant Director, Technical	8000-275-13500
4.	Editor	8000-275-13500
5.	Information Officer	6500-200-10500
6.	Distt. Information Officer	6500-200-10500
7.	Photo Film Officer	6500-200-10500

22. Pay during Probation--

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

(2) The pay during probation of person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by Relevant Fundamental Rules.

(3) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII-OTHER PROVISIONS**23. Regulation of other Matters--**

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants service in connection with the affairs of the State.

24. Relaxations from Conditions of Service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

25. Savings--

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

APPENDIX

[See rule 4 (2)]

Sl.No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Post
1.	Joint Director	12000-375-16500	01
2.	Deputy Director	10000-325-15200	02
3.	Asstt. Director	8000-275-13500	03
4.	Asstt. Director Technical	8000-275-13500	01
5.	Editor	8000-275-13500	01
6.	Information Officer	6500-200-10500	08
7.	Distt. Information Officer	6500-200-10500	13
8.	Photo Film Officer	6500-200-10500	01

By Order,

D. K. KOTIA
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०१ सूचना/२४-२००७-१००+२५ (कम्प्यूटर/रीजियो)।